





फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मनोहरलाल बनाम श्रीमती उममी देवी (वर्ग 1)

केसम मुकदमा प्रविष्टा 111-128 नं० 168 सन् 2022

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इत्त हुकम की तानील में जारी हुए
1022	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29-11-22 को पेश हो ।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
1122	<p>समय पक्ष इति... अधिकारी सज्ज... कार्य से दा... पर है / पररिक्त है। दिनांक: पत्रावली दिनांक 27-12-22 को पेश हो ।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
2722	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, डाटाश्रीगठ के समक्ष वाद वागिल होकर प्राप्त हुए जिले का पठ किया गया। सप्रेमिक को कितनी सतर्का उपायों द्वारा की जाने पर भी उपस्थित नहीं इन्हें बिकर एक तरफा धार्मवाही डिपेणगे का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रारपत्र स्वीकार किया जाकर शिर्षप धुपक से लिखा जाकर आगिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के मल शुमार होकर नम्वर से कम है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 168/22 प्रा.पत्र

श्री मनोहर लाल श/0 श्री रामलाल शर्मा निवासी- G-65 P.N.T. कॉलोनी
माण्डल भीलवाड़ा तहसील- भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती इशमी देवी श/0 श्री मंगल गाड़ी निवासी- पीयास तहसील- माण्डल [वर्ग 1]
(संबन्धित प्रमाण सलक्षण)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम पीयास पटवार हल्का पीयास तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 3249/2641 कुल किता 01 रकबा 0.5182 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13-10-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी कराने का ~~प्रार्थी~~ है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीयास पटवार पीयास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3249/2641 किता 01 रकबा 0.5182 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख पीयास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पश्चात् प्रकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार पत्र पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल सीखली भीलवाड़ा

टेलिफि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल सीखली भीलवाड़ा